

झारखंड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषण,

निदेशांक: मा.वि.शिक्षा/झारखंड, राँची

सेवा में,

सचिव,

सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली।

राँची, दिनांक 20.1.04

विषय-

झारखंड राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विद्यालयों को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली संबंधित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशानुसार कहना है कि मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड सरकार के द्वारा विचारोपरान्त राज्य के अंतर्गत संचालित निम्नलिखित निजी विद्यालयों को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु नीचे अंकित शर्तों एवं बन्धनों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमित करने का निर्णय लिया गया है-

1. इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, काँके रोड राँची।
2. स्टार इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल ओकर राँची।
3. इस्ट प्वाइन्ट राँची।
4. सरस्वती विद्यामंदिर, करकट्टा परियोजना खेलाड़ी, राँची ✓
5. बघावती सिटी पब्लिक स्कूल उपेक्षनगर, चाण्डाल पूर्वी सिंहभूम।
6. माध्यमिक शिक्षा निदेशन उच्च विद्यालय, जगदलपुर सरायकेला-समसावा।
7. डी०ए०भी पब्लिक स्कूल सिमडेगा।
8. स्कूल आर्क कमिटीबन तालडांगा हाउसिंग कलोनी सिमडेगा-धनबाद।
9. मुनजम पब्लिक स्कूल महाराजगंज, हजारीबाग।
10. सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगड़ा गिरौडीहा।
11. सरस्वती विद्या मंदिर रजरप्प प्रोजेक्ट हजारीबाग।
12. राम प्रसाद चन्द्रभान सरस्वती विद्या मंदिर गोछा रोड, हजारीबाग।
13. ग्रीन माउन्ट एकेडमी, जेल रोड दुमका।

शर्त एवं बन्धन जिसके अधीन उपर्युक्त निजी विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमित किया गया है।

1. विद्यालय की वार्षिक बचत आय 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विद्यालय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया है।



सचिव

सरस्वती विद्या मंदिर
करकट्टा, खलारी, राँची (झारखण्ड)

प्रधानाचार्य
सरस्वती विद्या मंदिर
करकट्टा परियोजना, खलारी, राँची



Principal

Saraswati Vidya Mandir
Karkatta Pariyojana, Khalaria
Ranchi (Jharkhand)

गया है।

-2-

कुल आय का 10 प्रतिशत जो बचत होगी उसका उपयोग भी विद्यालय के विकास में किया जायेगा। विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को देय वेतन एवं भत्ते के बराबर भुगतान करना होगा।

2. विद्यालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायेगा।

3. विद्यालय को शहरी क्षेत्र में 2 एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4 एकड़ भूमि विद्यालय के नाम से निर्बाधत या कम से कम 30 वर्ष के निर्बाधत पट्टा/लीज पर होना चाहिए यदि भविष्य में जाचोपरान्त भिन्न स्थिति पाई जायेगी तो अनापत्ति प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार सरकार को सुरक्षित रहेगा।

4. विद्यालय में हिन्दी भाषा की प्रगति जनवारीय रूप से होनी चाहिए।

5. नामांकन हेतु किसी प्रकार का डोनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं लिया जायेगा।

6. गरीबी रेखा के नीचे के छात्र/छात्राओं का 10 प्रतिशत स्थान नामांकन के लिए सुरक्षित होगा साथ ही साधारण शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जायेगा।

7. विद्यालय का कार्य कला, राष्ट्र के हित में होना चाहिए। विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम का संचार, नैतिक तथा राष्ट्र के सांस्कृतिक मूल्यों ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, शारीरिक एवं व्यक्तित्व विकास हेतु साकारात्मक प्रचार करना होगा।

8. विद्यालय में छात्रों की सुरक्षित संख्या एवं उसके अनुपात में शिक्षित होना चाहिए।

9. विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया, कर्मियों की संख्या, योग्यता एवं नियुक्ति प्रशिक्षण आदि में समय-समय पर राज्य सरकार समीचीनरान्त संशोधन कर लेगी।

10. विद्यालय संचालन हेतु प्रशिक्षण नियमावली के आधार पर गठित शांती निदाम के सदस्यों की कार्यवाही पूर्ण होने पर सदस्यों की सूची जिला शिक्षा प्रदायीकारी कार्यालय में जमा करना होगा।

11. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के एकलदेवत प्रशिक्षण तथा स्नोप्रीवॉ, स्नोप्रीवॉ, स्नोप्रीवॉ, स्नोप्रीवॉ एवं मार्ग आदि को सुरक्षित रूप से करना होगा।

12. यदि कोई संस्था पूर्व से किसी चीज से सम्बन्धता प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र संख्या-1055 दिनांक 5-9-2001 के अनुसार शर्तों का पालन करना होगा अथवा अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का सर्वाधिकार राज्य सरकार में सुरक्षित होगा।

13. उपर्युक्त शर्तों या बन्धनों का अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने का अधिकार होगा।

14. अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिये विद्यालय द्वारा समर्पित कागजातों एवं अभिलेखों को जहाँ वास्तविक स्थिति है भिन्न भाषा जाय या विद्यालय द्वारा राष्ट्र या राज्य हित के विरुद्ध किया जा रहा हो या ऐसा कार्य जितने सामाजिक कलह फैला हो तो सरकार निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र को वापस ले सकती है।

15. विद्यालय द्वारा उपर्युक्त शर्तों एवं बन्धनों को अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी जांच समय-समय पर मानव संसाधन विकास विभाग,

गुणगुण

संस्था के निदेशक या अधिकारी द्वारा जांच की जायेगी तथा सरकार जब चाहे विधायक संस्था के निदेशों एवं अध्यापक/अनिर्वाहकों की जांच करा सकेगी और अंशों का भी जांच कर अनुसूचित कार्यवाही कर सकेगी ।

16. एतद्विषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा प्रशिक्षण निदेशक या अधिकारी द्वारा कराया जायेगा, रांची के जिलाधिकारी के अन्तर्गत होगा ।

17. समय-समय पर लोकहित में सरकार द्वारा विधायक सम्बन्धित सभी निदेशों लिखे जायेंगे उनका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शास्त्रों का उल्लंघन करने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी ।

विधायक संस्था

30.12.2019

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
झारखंड, रांची ।

आज्ञांक-209 / रांची, दिनांक-30.12.2019
प्रतिनिधि, संबंधित संस्था एवं निदेशक/सभी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/सभी संबंधित विधायक के मुख्यालयों को सूचना के लिए ।

30.12.2019

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
झारखंड, रांची ।

आज्ञांक-209 / रांची, दिनांक-30.12.2019
प्रतिनिधि, माननीय संस्था के आप्त सचिव/सचिव, मानव संसाधन विभाग किर्कट्टा, झारखंड, रांची को सूचना एवं आदेश के लिए ।

30.12.2019
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
झारखंड, रांची ।

प्रमुख शिक्षा अधिकारी
सरकारी विद्यालय, खलारी, रांची

सचिव

सरस्वती विद्या मंदिर
करकट्टा, खलारी, रांची (झारखंड)

Principal

Saraswati Vidya Mandir
Karkatta Pariyojana, Khalaria
Ranchi (Jharkhand)